अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 ईसीजीसी के विषय में

1957 में स्थापित निर्यात जोखिम बीमा निगम का वर्ष 1983 में नाम बदल कर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) कर दिया गया था। ईसीजीसी (कम्पनी) भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और इसके कार्यों की देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा की जाती है। यह कम्पनी क्रेडिट पर निर्यात के जोखिमों को कवर करते हुए देश से निर्यात के प्रोत्साहन को उत्प्रेरित करने के लिए बनाई गई थी। यह बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के पास सामान्य बीमा कम्पनी के रूप में पंजीकृत है जो क्रेडिट बीमा पॉलिसियों/कवरों को डील करती है। मार्च 2011 तक, कम्पनी के 51 शाखा कार्यालय तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालय थे जिनका कारपोरेट कार्यालय मुम्बई में है।

1.2 कम्पनी के उद्देश्य

बृहद स्तर पर कम्पनी का उद्देश्य व्यापार के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करना और सुगम बनाना था। यह अप्रत्याशित हानियों के प्रति निर्यातकों की रक्षा करने के लिए पॉलिसियों के रूप में बीमा प्रदान करती है। यह भारतीय निर्यातकों को पर्याप्त बैंक वित्त व्यवस्था में तेज़ी लाने के उद्देश्य से बैंकों को बीमा कवर भी प्रस्तावित करती है। इसके अतिरिक्त, यह क्रेताओं, बैंकरों तथा विभिन्न देशों की उधार पात्रता पर समय पर सूचना उपलब्ध करा कर उनके उधार जोखिमों का प्रबंध करने में भारतीय निर्यातकों की सहायता भी करती है।

1.3 वित्तीय एवं प्रचालनात्मक विशिष्टताएं

31 मार्च 2011 को समाप्त पांच वर्षों के लिए कम्पनी की वित्तीय विशिष्टताएं निम्नानुसार थीः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	प्राधिकृत पूंजी	1000	1000	1000	1000	1000
2	प्रदत्त पूंजी	800	900	900	900	900
3	रिज़र्व एवं अधिशेष	629	913	986	1027	1082
4	निवल सम्पत्ति	1429	1813	1886	1959	2062
5	निवेश (सावधि जमा को छोड़कर)	228	586	1062	2620	3164
6	सकल प्रीमियम आय	618	668	745	813	885
7	निवल प्रीमियम (सकल प्रीमियम घटा सौंपा गया पुनर्बीमा)	614	477	573	579	771
8	कुल अर्जित प्रीमियम [निवल प्रीमियम+/- समाप्त जोखिम के लिए रिज़र्व में परिवर्तन हेतु समायोजन]	594	546	525	576	675
9	निवेश से आय तथा अन्य आय (पॉलिसी धारक लेखा को विभाजित आय)	116	131	157	120	146
10	किए गए कुल दावे	187	-16	355	675	757
11	निवल कमीशन [(-) आय को दर्शाता है तथा (+) व्यय को दर्शाता है]	0	-34	-25	-31	-9
12	परिचालन व्यय	74	105	94	103	151
13	प्रीमियम कमी[1]	0	0	0	48	-48
14	बीमा व्यापार से परिचालन लाभ/(हानि) [(8+9)- (10+11+12+13]	449	622	258	-99	-30
15	निवेश से आय तथा अन्य आय (शेयर धारक आय)	103	150	185	173	151
16	कराधान के अलावा प्रावधान तथा अन्य व्यय	0	0	5	9	3
17	कर से पूर्व लाभ/हानि [14+15-16]	552	772	438	65	118
18	कराधान के लिए प्रावधान तथा पूर्वावधि व्यय	182	293	155	11	32
19	कर पश्चात् निवल लाभ/हानि [17-18]	370	479	283	54	86
20	प्रदत्त लाभांश [लाभांश कर सहित]	139	192	211	13	30

[1] *यदि प्रत्याशित दावा लागतें, संबंधित व्यय तथा अनुरक्षण लागतें असमाप्त जोखिमों के लिए संबंधित रिज़र्व से बढ़ती है तो प्रीमियम कमी को मान्यता देने की आवश्यकता होती है।*

2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के लिए वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता था:

i) शेयर पूंजी

2006-07 से 2010-11 के दौरान, देश के निर्यात की कम्पनी की कवरेज आठ से दस *प्रतिशत* के बीच स्थिर रही। कम्पनी ने इसका कारण जोखिम सीमा (निवल सम्पत्ति के बहुभागी के रूप में) पर इरडा की मांग बताया। प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़ाना निवल सम्पत्ति को बढ़ाने का एक उपाय था। तथापि, यह देखा गया था कि कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी भी 2007-08 से ₹ 900 करोड़ पर स्थिर रही। कम्पनी ने बताया कि शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए मामला मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

ii) निवेश

कम्पनी का दीर्घावधि निवेश कॉरपस 2006-07 में ₹ 228 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 3164 करोड़ हो गया जो मुख्यतः निवेश पर इरडा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सावधि जमा को दीर्घावधि सावधि निवेश में परिवर्तित करने के कारण था। इस निवेश पर समग्र आय[2] 7.78 *प्रतिशत* थी (2010-11)।

iii) प्रीमियम

सकल प्रीमियम आय 2006-07 में ₹ 618 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 885 करोड़ हो गई क्योंकि व्यापार का मूल्य 2006-07 में ₹ 428840 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 431888 करोड़ हो गया।

iv) परिचालन लाभ

परिचालन लाभ के 2006-07 में ₹ 449 करोड़ से बढ़कर 2007-08 में ₹ 622 करोड़ होने का मुख्य कारण बकाया दावों में कटौती था। परिचालन लाभ के 2007-08 में ₹ 622 करोड़ से घट कर 2008-09 में ₹ 258 करोड़ होने का कारण दावों के प्रावधान में वृद्धि होना था। 2009-10 तथा 2010-11 में सूचित की गई परिचालन हानि क्रेताओं की चूक के बढ़ने के कारण थी जिसके परिणामस्वरूप दावों में वृद्धि हुई। बढ़े हुए दावों के कारणों पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 तथा 3 में चर्चा की गई है।

---

[2] *समग्र आय का अर्थ करों एवं खर्चों की कटौती से पूर्व निवेश पर आय से है।*

1.4 कम्पनी के उत्पाद/सेवाएं

कम्पनी ने निर्यातकों को 13 प्रकार की लघु अवधि पॉलिसियां तथा बैंकों को 8 प्रकार के कवर जारी किए। प्रत्येक की उत्पाद रूपरेखा **अनुबंध-I** में दी गई है। निर्यातकों को जारी की गई बीमा पॉलिसियों में क्रेताओं द्वारा निर्यात प्राप्तियों का भुगतान न करने का जोखिम शामिल था। कम्पनी द्वारा जारी नीतियों/कवरों में मुख्यतः लघु अवधि क्रेडिट अर्थात अधिकतम 180 दिन का क्रेडिट पर निर्यातित माल शामिल था।

बैंकों को जारी बीमा कवर (जिसे बैंकों के लिए निर्यात क्रेडिट बीमा (ईसीआईबी) कहा जाता है) बैंकों द्वारा निर्यातकों को दिए गए अग्रिमों की गारंटियों के रूप में थे। कम्पनी ने इंजीनियरिंग माल के निर्यात के संबंध में भुगतान में चूक का जोखिम, टर्न-की परियोजनाओं का निष्पादन और विदेशी सिविल निर्माण के ठेके भी शामिल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से "परियोजना निर्यात" कहते हैं।

निम्नलिखित तालिका 2006-07 से 2010-11 तक पांच वर्षों के लिए जारी की गई पॉलिसियों/कवरों की संख्या, शामिल किए गए व्यापार का मूल्य तथा प्रीमियम को दर्शाती है:

उत्पाद	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
लघु अवधि पॉलिसियां	पॉलिसियों की सं. (नई + नवीकरण)	10822	10196	11541	10557	10117
	किए गए व्यापार का मूल्य (₹ करोड़ में)	50421	52767	68866	85643	92884
	प्रीमियम (₹ करोड़ में)	191	205	247	288	333
	कुल प्रीमियम के प्रति प्रीमियम की प्रतिशतता	31	31	33	35	38
लघु अवधि ईसीआईबी	कवर्ज़ की सं. (नए +नवीकरण)	2961	4223	4177	4082	3922
	किए गए व्यापार का मूल्य (₹ करोड़ में)	375260	182766	261732	271274	331758
	प्रीमियम (₹ करोड़ में)	397	430	464	487	511
	कुल प्रीमियम के प्रति प्रीमियम की प्रतिशतता	64	64	62	60	58
परियोजना एवं अवधि निर्यात	**पॉलिसियां**					
	कवर्ज़ की सं. (नए)	1	4	4	4	1
	किए गए व्यापार का मूल्य (₹ करोड़ में)	1229	1564	2443	3993	3781

उत्पाद	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
	प्रीमियम (₹ करोड़ में)	10	13	15	15	19
	ईसीआईबी					
	कवर्ज़ की सं. (नए)	3	5	0	0	0
	किए गए व्यापार का मूल्य (₹ करोड़ में)	1846	2780	2412[3]	2775[3]	3221[3]
	प्रीमियम (₹ करोड़ में)	18	21	19	22	22
घरेलू बीमा[4] एवं फेक्टरिंग[5]	कवर्ज़ की सं. (नए)	उपलब्ध नहीं				
	किए गए व्यापार का मूल्य (₹ करोड़ में)	84	0	5	43	243
	प्रीमियम (₹ करोड़ में)	2	0	0.12	1	1
	कुल प्रीमियम	**618**	**669**	**745**	**813**	**886**

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा गया था कि लघु अवधि पॉलिसियों तथा बैंकों के कवर्ज़ से सृजित प्रीमियम कुल प्रीमियम के 95 से 96 *प्रतिशत* के बीच था। इसलिए यह निष्पादन लेखापरीक्षा केवल इन दो उत्पादों पर ही की गई थी। चूंकि वर्ष 2007-08 तक की लेखापरीक्षा पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 2009-10 की प्रतिवेदन सं. पीए 27) के दौरान कवर की गई थी, अतः 2008-09 से 2010-11 की अवधि इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कवर की गई थी।

1.5 समझौता ज्ञापन एवं कारपोरेट योजनाएं

कम्पनी के व्यापार और मामलों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन एवं प्रबंधन निदेशक-मंडल (बीओडी) के पास था और उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा की जाती थी। सीएमडी के अतिरिक्त बोर्ड के सभी निदेशक गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक थे। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हर वर्ष हस्ताक्षर किए जाते थे। एमओयू भारत सरकार तथा प्रबंधन के बीच बातचीत द्वारा तय करार था

---

[3] *केवल नवीकरण प्रीमियम।*

[4] *कम्पनी ने घरेलू क्रेडिट बीमा फरवरी 2009 में शुरू किया। तथापि, उसने उत्पाद को बड़े कम स्तर पर बढ़ावा दिया।*

[5] *फेक्टरिंग एक वित्तीय लेनदेन है जिससे एक व्यापार अपने प्राप्तियोग्य लेखे (अर्थात बीजक) एक थर्ड पार्टी (जिसे फेक्टर कहते हैं) को बेचता है। कम्पनी ने फेक्टरिंग सेवा अप्रैल 2007 में शुरू की।*

जिसका उद्देश्य वर्ष के अन्त में कम्पनी के निष्पादन का वर्ष के शुरू में नियत लक्ष्यों के साथ मूल्यांकन करना था। एमओयू मानदण्डों के प्रति कम्पनी के निष्पादन की रेटिंग 2008-09 में "बहुत अच्छी," 2009-10 में "अच्छी" तथा 2010-11 में "बहुत अच्छी" के रूप में की गई थी।

लघु अवधि निर्यात क्रेडिट बीमा पॉलिसियों की प्राचलों जैसे वर्ष 2010 के लिए किए गए व्यापार, वर्ष के दौरान प्रीमियम आय और प्रीमियम दर (नवीनतम उपलब्ध) पर 45 बर्न संघ सदस्य[6] के साथ कम्पनी के निष्पादन की तुलना से पता चला कि कम्पनी को क्रमशः 12वें, 13वें, तथा 23वें स्थान पर रखा गया था।

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में मुख्यतः 31 मार्च 2011 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान जारी की गई पॉलिसियों एवं ईसीआईबी कवर्ज़ तथा निपटाए गए दावों की समीक्षा शामिल थी। प्रक्रिया की समीक्षा करने हेतु प्रासंगिक खारिज दावों की भी जांच की गई। पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के लिए स्वीकृति के रूप में कम्पनी द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं का भी कम्पनी द्वारा अनुपालन के आकलन हेतु निरीक्षण किया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को जारी की गई लघु अवधि पॉलिसियों तथा बैंकों को जारी किए गए कवर्ज़ से संबंधित जोखिमों का दायित्व लेने तथा दावों का निपटान करने के लिए विद्यमान प्रणाली की प्रभावकारिता के आकलन की दृष्टि से वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान कम्पनी के प्रचालनात्मक निष्पादन की जांच करना था। बड़े दावों से बचाव के लिए विद्यमान जोखिम कम करने के उपायों की भी जांच की गई थी।

1.8 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड में मुख्य रूप से इरडा विनियम, महानिदेशक-विदेश व्यापार की वार्षिक रिपोर्ट, आरबीआई परिपत्र, कम्पनी की कार्पोरेट योजनाएं (सीपीज़), मंत्रालय के साथ कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित

---

[6] *निर्यात क्रेडिट एवं निवेश बीमा के लिए एक अग्रणी संघ जो सीमा पार के व्यापार में सहयोग और स्थिरता के लिए कार्य करता है और अपने सदस्यों के बीच व्यावसायिक विनियम के लिए एक फोरम प्रदान करता है।*

समझौता ज्ञापन (एमओयूज़), क्रेडिट सूचना एजेंसियों[7] (सीआईएज़) की रिपोर्टें, कम्पनी द्वारा जारी किए गए परिपत्र तथा निदेशक-बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र शामिल थे।

1.9 लेखापरीक्षा प्रणाली

कम्पनी के प्रबंधन के साथ 12 सितम्बर 2011 को एक एण्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड, प्रणाली तथा लेखापरीक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई थी तथा कम्पनी के सुझावों पर विचार किया गया था। लेखापरीक्षा सितम्बर 2011 से जनवरी 2012 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा प्रणाली में दस्तावेज़ों की संवीक्षा, डॉटा का विश्लेषण, सूचना को स्पष्ट करने के लिए मांग जारी करना, प्रबंधन के साथ चर्चा तथा लेखापरीक्षा के दौरान जारी प्रारंभिक आपत्तियों के उत्तर की समीक्षा शामिल थी। जांच के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का ड्राफ्ट प्रबंधन को 23 फरवरी 2012 को जारी किया गया था तथा एग्ज़िट बैठक 28 मार्च 2012 को की गई थी। प्रतिवेदन का ड्राफ्ट 29 मई 2012 को मंत्रालय को भी जारी किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष बनाते समय कम्पनी तथा मंत्रालय के उत्तरों/दृष्टिकोण पर विचार किया गया था जिनकी चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।

1.10 लेखापरीक्षा नमूना चयन

लेखापरीक्षा नमूनों के चयन में 2008-09 से 2010-11 तक के तीन वर्ष के दौरान पॉलिसियों तथा ईसीआईबी दोनों के अन्तर्गत प्रदत्त उच्च मूल्य[8] वाले दावों के चयन पर ज़ोर दिया गया था। ईसीआईबी के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान प्रदत्त दावों का कुल मूल्य ₹ 1065.52 करोड़ था, जिसमें से प्रदत्त दावों के मूल्य का लेखापरीक्षा चयन ₹ 455.33 करोड़ (43 *प्रतिशत*) था, तथा पॉलिसी के अन्तर्गत प्रदत्त दावों का कुल मूल्य ₹ 646.46 करोड़ था, जिसमें से प्रदत्त दावों के मूल्य का लेखापरीक्षा चयन ₹ 301.18 करोड़ (47 *प्रतिशत*) था।

1.11 आभार

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर मंत्रालय तथा कम्पनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

---

[7] एजेंसियां जो एक व्यक्ति अथवा कम्पनी की उधार पात्रता के बारे में सूचना एकत्र करती हैं और बेचती हैं।

[8] ईसीआईबी के लिए ₹ 5 करोड़ तथा ₹ 10 करोड़ से ऊपर की लघु अवधि पॉलिसियां